न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 275/2017,
कम्पयूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 283/2017
सरकार बनाम मुकेश शर्मा
धारा 498–ए,323,306 भा0द0सं0
थाना बहादुरगढ ,जिला हापुड

UPHP010035102017

दिनांक 25.02.2022,

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई । अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 22.02.2022 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को पूर्व में सुना जा चुका है । पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया ।

अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र दि0 22.02.2022 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दि0 26.11.2021 को साक्षी पी0डब्लू–1 योगेन्द्र शर्मा के बयान दर्ज हुए । बयान दर्ज होते समय प्रार्थी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । जिस कारण प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा नहीं की जा सकी थी । इसके पश्चात मा0 न्यायालय द्वारा साक्षी पी0डब्लू–1 से प्रति परीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया । साक्षी पी0डब्लू–1 से प्रति परीक्षा न हो पाने के कारण प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः साक्षी पी0डब्लू–1 को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब करके उससे प्रतिपरीक्षा की अनुमति प्रदान किए जाने की याचना की गयी है ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है , परन्तु मौखिक रूप से सख्त आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि नियत तिथि पर अभियुक्त उपस्थित था तथा बार बार पुकार पर भी अभियुक्त के अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आये , तब मा0 न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त किया गया है । इसी आशय का पृष्ठांकन प्रार्थनापत्र के हाशिये पर किया गया है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर दि0 26.11.2021 को साक्षी पी0डब्लू–1 योगेन्द्र शर्मा के बयान दर्ज हुए । बयान दर्ज होते समय बार बार पुकार पर भी अभियुक्त के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आये , तब न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त किया गया । प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण वह प्रति परीक्षा हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे , उन्होंने जानबूझकर लापरवाही नहीं की थी । वाद के प्रभावी न्यायनिर्णयन हेतु प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 22.02.2022 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 अंकन 1000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है । साक्षी पी0डब्लू–1 योगेन्द्र शर्मा को जिरह हेतु अग्रिम तिथि 14.032022 के लिए तलब किया जाये । हर्जे की अदायगी साक्षी पी0डब्लू–1 योगेन्द्र शर्मा को करायी जाये । पत्रावली वास्ते साक्ष्य/जिरह पी0डब्लू–1 दि0 14.03.2022 को पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।